

चिन्हित वन स्वरूप भूमि न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा हाथरस वन प्रभाग के अन्तर्गत 765 के0बी0 डी0सी0 उरई-अलीगढ़ पारेषण प्रणाली के निर्माण हेतु संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 1.0082 है० संरक्षित वनभूमि चिन्हित 'वन स्वरूप क्षेत्रों' की भूमि के अन्तर्गत नहीं आती है।


(मुकेश शर्मा)
प्रजापति वन अधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
12/02/18
दिनांक - 19/02/18